

सारण समाहरणालय, छपरा।

(जिला पंचायत शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक- 1143/पं0 दिनांक- 25.06.2019 द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों के सुदृढ़तापूर्ण संचालन के दृष्टिकोण से कार्य-हित में पंचायत सचिवों का स्थानान्तरण किया गया है। इस क्रम में श्री शम्भु प्रसाद सिंह, पंचायत सचिव, मशरक प्रखण्ड, जिनका स्थानान्तरण सेवा-निवृत्ति की तिथि समीप होने के कारण नहीं किया गया था, की पत्नी श्रीमती तारा देवी द्वारा स्वास्थ्य कारणों से उनका स्थानान्तरण मशरक प्रखण्ड से करने हेतु अभ्यावेदन दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त आदेश में लिपिकीय भूल वश श्री बसंत लाल राम, पंचायत सचिव, प्रखण्ड- सोनपुर का स्थानान्तरण पुनः उसी प्रखण्ड में अंकित हो गया है।

अतः श्रीमती तारा देवी के अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरांत कार्य-हित में श्री शम्भु प्रसाद सिंह, पंचायत सचिव, मशरक प्रखण्ड को परसा प्रखण्ड में तथा श्री बसंतलाल राम, पंचायत सचिव, सोनपुर प्रखण्ड को मशरक प्रखण्ड में स्थानान्तरित किया जाता है।

संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित पंचायत सचिवों के प्रभार का आदान-प्रदान कराते हुए दिनांक- 30.06.2019 तक नव-पदस्थापन प्रखण्ड में योगदान करने हेतु विरमित करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा संबंधित पंचायत सचिव दिनांक- 01.07.2019 को स्वतः विरमित होकर नवपदस्थापित प्रखण्ड में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। उक्त स्थानान्तरित पंचायत सचिवों के अगले माह का वेतन नव-पदस्थापन कार्यालय से देय होगा। साथ ही यह भी निदेशित किया जाता है कि संबंधित पंचायत सचिव से सम्बद्ध पंचायतों के रोकड़ पंजी/अभिलेख को अद्यतन कराकर ही प्रभार का आदान-प्रदान कराना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा किसी भी पंचायत का रोकड़ पंजी/अभिलेख अद्यतन नहीं रहने का मामला प्रकाश में आता है, तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

६७८

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक.....1149...../पं0 दिनांक 26/06/2019

- प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सारण जिला परिषद्, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ मढ़ौरा/ सोनपुर / संबंधित प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/ कोषागार पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त आदेश की प्रति सारण जिले के वेब-साईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित कराएंगे।
- प्रतिलिपि:- संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही निदेशित किया जाता है इस आदेश की प्रति अपने प्रखण्ड अन्तर्गत पदस्थापित पंचायत सचिवों को तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:- संबंधित पंचायत सचिव, सारण जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।